सुरक्षा विनियम

हथियारों तथा गोला बारूद का वहन

सामान्य यात्रियों के लिए

किसी भी स्थिति में यात्री अपने हाथ/पॉकेट में अथवा अपने केबिन बैगेज में फायरआर्म तथा/अथवा गोला-बारूद का वहन नहीं कर सकता है। सुरक्षा जांच के समय यदि उनके केबिन बैगेज अथवा उनके पास इस प्रकार का कोई भी सामान पाया जाता है तो उन पर आपराधिक मुकदमा किया जा सकता है। फायरआर्म/गोला बारूद जांच-पड़ताल के लिए जब्त किया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर मुकदमें के दौरान इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

यात्री निम्नलिखित कदम उठाने के बाद रजिस्टर्ड बैगेज में लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर अथवा पिस्तौल अथवा बंदूक तथा पचास (50) कारतूस का वहन कर सकता है।

- यदि होल्ड बैगेज की स्क्रीनिंग चेक-इन के बाद की जानी है तो चेक-इन के समय अथवा यदि होल्ड बैगेज की स्क्रीनिंग चेक-इन से पहले की जानी है तो होल्ड बैगेज की सुरक्षा स्क्रीनिंग के पहले मौखिक अथवा लिखित रूप में फायरआर्म/गोला बारूद के वहन के बारे में घोषणा दें।

  यदि यात्री यह घोषणा नहीं करता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा किया जा सकता है।

- फायरआर्म तथा/अथवा गोला बारूद के वहन हेतु मान्य लाइसेंस अथवा प्राधिकृत दस्तावेज़ अपने साथ अवश्य रखें।

- फायरआर्म को खाली कर गोला बारूद से अलग पैक किया जाना चाहिए तथा सुरक्षा व बचाव संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा किया जाना चाहिए।

- गोला बारूद का वहन खुला रख कर न करें तथा उसे उपयुक्त पैकेट में रखें।

सुरक्षा विनियम

खिलाड़ियों के लिए

- यदि आप खिलाड़ी हैं तथा किसी शूटिंग इवेंट में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं व इस कारण अपने साथ एक से अधिक लाइसेंस प्राप्त फायरआर्म तथा/अथवा 50 राउंड से अधिक गोला बारूद का वहन कर रहे हैं तो अपनी पहचान तथा इस प्रकार से हथियार तथा गोला बारूद के वहन का साक्ष्य अपने साथ अवश्य रखें। आप प्रमाण के रूप में सरकारी एजेंसी अथवा स्पॉन्सर कर रहे स्पोर्ट क्लब द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र तथा शूटिंग इवेंट के लिए आपको स्पॉन्सर कर रहे स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष अथवा सचिव का लिखित दस्तावेज़ दे सकते हैं। आपको क्लीयरेंस देने से पहले जांचकर्ता के लिए इन साक्ष्यों की जांच करनी अपेक्षित है।

भारतीय रक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस तथा कस्टम्स के सेवारत कर्मियों के लिए

भारतीय रक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस तथा कस्टम्स के सेवारत कर्मी यदि ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं तथा उनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मूवमेंट आर्डर है, जिसमें सरकारी उद्देश्य से उन्हें हथियार तथा गोला बारूद के वहन के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो वे चेक-इन के समय डिक्लेयर करके तथा सुरक्षा व बचाव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद रजिस्टर्ड बैगेज में लाइसेंस प्राप्त एक रिवॉल्वर अथवा पिस्तौल अथवा बंदूक तथा पचास कारतूसों का वहन कर सकते हैं। यात्री द्वारा निर्धारित फार्म भरा जाएगा तथा एयरपोर्ट प्रबंधक द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा।

"वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विमान में खिलाड़ियों द्वारा फायरआर्म तथा गोला बारूद के वहन का प्राधिकार नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त किया जाएगा"।

सुरक्षा विनियम

घरेलू सेक्टर :

- भारत सरकार के विनियमों के अनुसार, वास्तविक यात्री/ भारतीय रक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस तथा कस्टम्स के सेवारत कर्मी यदि ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं तथा उनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मूवमेंट आर्डर है, जिसमें सरकारी उद्देश्य से उन्हें हथियार तथा गोला बारूद के वहन के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो वे चेक-इन के समय डिक्लेयर करके तथा सुरक्षा व बचाव की सभी आवश्यकताओं के पूरा करने के बाद रजिस्टर्ड बैगेज में लाइसेंस प्राप्त एक रिवॉल्वर अथवा पिस्तौल अथवा बंदूक तथा पचास कारतूसों का वहन कर सकते हैं। यात्री द्वारा निर्धारित फार्म भरा जाएगा तथा एयरपोर्ट प्रबंधक द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा।
- हथियार का वहन करने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे विमान के प्रकार तथा हथियार के आकार के संबंध में टिकट बुक कराते समय पुष्टि कर लें तथा इस संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए उड़ान से पहले एअर इंडिया कार्यालय से संपर्क करें।
- तथापि एटीआर उड़ानों में हथियार तथा गोला बारूद के वहन का प्रावधान नहीं है।

एअर इंडिया भारत के सेक्टरों में यात्री के रजिस्टर्ड बैगेज में फायर आर्म, एयर गन अथवा गोला बारूद की हैंडलिंग तथा वहन के दौरान प्रदान की जाने वाल अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रति यात्री प्रति फायर आर्म, एयर गन तथा/अथवा गोला बारूद (50 राउंड तक) के लिए 5000 भारतीय रुपए का प्रभार लेगी।

निम्नलिखित कर्मियों को छूट प्राप्त है तथा उनसे उल्लिखित प्रभार नहीं लिए जाएंगे बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

- भारतीय रक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस तथा कस्टम्स के सेवारत कर्मी यदि ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं तथा उनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मूवमेंट आर्डर है, जिसमें सरकारी उद्देश्य से उन्हें हथियार तथा गोला बारूद के वहन के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- खेल प्रतिस्पर्धा अथवा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए घरेलू अथवा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर यात्रा कर रहे खिलाड़ियों को फायरआर्म, एयर गन तथा/अथवा गोला बारूद के वहन हेतु लिए जाने वाले शुल्क से छूट प्राप्त है, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का पूरा करें :

सुरक्षा विनियम

- खिलाड़ी होने का सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पहचान संबंधी दस्तावेज़। पहचान के लिए सरकारी एजेंसी अथवा स्पॉन्सरिंग क्लब द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- फायरआर्म तथा गोला बारूद का वैध लाइसेंस/प्राधिकार।
- खिलाड़ी को निशानेबाजी के इवेंट के लिए स्पॉन्सर कर रहे स्पोर्टस् क्लब के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा जारी लिखित दस्तावेज़ के आधार पर हथियार तथा गोला बारूद के वहन का प्रमाणन।
- नि:शुल्क बैगेज छूट सीमा से अधिक सामान होने पर हथियारों तथा गोला बारूद के वहन के लिए अतिरिक्त सामान के सामान्य प्रभार लागू होंगे।

अंतरराष्ट्रीय सेक्टर:

अंतरराष्ट्रीय सेक्टर पर, उपर्युक्त नियम, स्थानीय नियमों तथा आवश्यक परमिट के अनुसार लागू होंगे।

अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर यात्रियों से उनके रजिस्टर्ड बैगेज में फायर आर्म, एयर गन अथवा गोला बारूद की हैंडलिंग व वहन के लिए दी जा रही अतिरिक्त सेवा हेतु प्रति फायर आर्म तथा 50 कारतूस हेतु प्रभार के रूप में 100 अमरीकी डॉलर (अथवा समकक्ष राशि तथा स्थानीय कर) लिए जाएंगे।

****